

रिपोर्ट पटवारी ~~...~~ व भू.अ. निरीक्षक ~~...~~ तहसील रायपुर
सहस्रिणी,
कापी काप पुस्तक ~~...~~ के आधार पर
मोन्नालाल के बजाय मोन्नाशम इन किया जाना
उचित है।

21/10/21
परमाणव
21/10/21
महेश

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार रायपुर

7
22/10/21

शुद्धि की जाना उचित है।

22/10/21
तहसीलदार रायपुर
जिला भीलवाड़ा



कार्यालय उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला- भीलवाड़ा
कमाल प्रजा. सं. विद्या सारेवा आदेश दि. 22-10-2021
मूताबिक तहसीलदार रायपुर की आज्ञा रिपोर्ट व अवेक
द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर राजब शम शारेव
की जमाबंदी 2076-79 के क्र.स. 302 म सहस्रकोटे नानालाल
पुत्र अम्बालाल का अंकन है जिसे बजाय मोन्नाशम पुत्र
अम्बालाल शुद्धि किया जाता है, तदनुसार राजब रिपोर्ट में
इन्जाल किया जावे। तहसीलदार रायपुर को प्रलनायक प्रेषित है।



22/10/21
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर भीलवाड़ा